

FP/JH/Other 8/22938/2016.

(19)

Ad-hoc

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, by Order dated 5th May 2006 in
IA No.1337 with IA Nos.827, 1122, 1216, 1473 in
WP (Civil) No.202 of 1995 : T N Godavarman Thirumalpad Vs Union of India & Ors.

4th floor, Block No.3, CGO Complex, New Delhi – 110 003
Tel No.(011) 24368006. FAX No.(011) 24368007. E-mail : adhoc-campa-mef@nic.in

No.1-16/2012-CAMPA

Dated the 7th April, 2018.

To

Nodal Officer (CAMPA),
O/o Principal Chief Conservator of Forests, cum Executive Director
Wasteland Development board
Government of Jharkhand,
Van Bhawan, P.O. Hinoo, Doranda,
Jharkhand, **Ranchi 834002.**

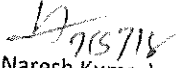
Sub.: Diversion of 4.04 ha of forest land for construction of 132/33 kv Grid Sub-station, Forest Div & Distt
Chatra of Jharkhand.

Sir,
With reference to your letter No.431 [received by post on 17th April, 2018] on the subject
mentioned above, the following is confirmed as under :-

S.No	Proposal No	PF/JH/Others/22938/2016		
		Amount	UTR/DD No.	Date of Deposit
1	Type of deposit (NPV/CA/WMP/other (specify))			
a	Compensatory Afforestation	-		-
b	Addl Compensatory Afforestation	-		-
c	Penal Compensatory Afforestation	-		-
d	Catchment Area Treatment	-		-
e	Wildlife Management Plan	-		-
f	Addl Charges	-		-
g	Net Present Value	Rs. 25,29,040 /-	SBINRS2017063000018070	30.6.2017
h	Any other charges/levies			
	Total	Rs. 25,29,040 /-		

The above mentioned the credited to SB A/c No.25212 maintained in the name of Compensatory
Afforestation Fund – Jharkhand in Corporation Bank, Lodhi Complex, New Delhi – 110 003

Yours faithfully,


(Naresh Kumar)

Deputy Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Ministry of Environment Forests and Climate Change, Bungalow No. A-2, Shyamali Colony, **Ranchi-834002**
2. The Assistant Inspector General of Forests (Shri Nisheet Saxena), Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Aliganj, Jor Bagh, New Delhi – 110 003.
3. PPS to IGF, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Jor Bagh, Aliganj Road, New Delhi-110003.


(Naresh Kumar)

PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

सेवा में, पत्रांक २॥॥ दिनांक 5.6.17

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
ट्रांसमिशन डिवीजन,
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०,
श्रृंगाडी काम्पलेक्स, मोनट फोर्ट स्कूल के समीप,
कनेरी हिल रोड, हजारीबाग (झारखण्ड)।

विषय- चतरा के मौज डाढ़ा में 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे० वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या- वन भूमि- 09/2017 2256
दिनांक 29.05.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि
विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 44 दिनांक 30.05.2017

महाराज,

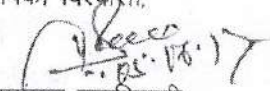
उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि उक्त ग्रिड सब स्टेशन निर्माण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-09/98-एफ.सी. दिनांक 13.05.2011 एवं दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णयानुसार सैद्धांतिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी गई है। अनुरोध है कि इसका अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत समर्पित की जाए-

क्रम सं०	परियोजना का नाम एवं अपयोजित वन भूमि का रकबा (हे० में)	शर्त	अनुपालन
i	डाढ़ा में 132/33 के०भी० ग्रिड	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
ii	सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे० वनभूमि अपयोजन	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.08 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.04 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार प्रस्तावित 4.04 हे० वन भूमि हेतु एन.पी.भी. प्रति हे० 6.26 लाख की दर से कुल 25,29,040.00 (पच्चीस लाख उनतीस हजार चालीस) रूपया कैम्पा खाता संख्या- SB01025212 of Corporation Bank, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) and SB Account No. 344902010105420 of Union Bank of India, Sunder Nagar, New Delhi- 110003 (RTGS/IFSC No. UBIN0534498) through the RTGS/NEFT mode में सीधे जमा कर सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य है।
iii		यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
iv		प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	इस शर्त के अनुसार एन.पी.भी की राशि कैम्पा खाता में जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
v		प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक का-पातन	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।

		नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों के पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	
vi		ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुसार ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत जहाँ संभव हो वृक्ष लगाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर वन विभाग के देख-रेख में किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में Undertaking दें।
vii		भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
viii		वनभूमि पर किसी प्रकार Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
ix		यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
x		परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
xi		अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना के इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण (Undertaking) पत्र देना अनिवार्य है।
xii		उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका- 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	-

अतः निम्नांकित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में समर्पित की जाए ताकि झारखण्ड, सरकार को प्रतिवेदित किया जा सके।

आपका विश्वासी,


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
5/6/17